भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 444
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जून, 2019 को दिया जाना है

वाहनों के लिए सुरक्षा मानक

444. श्री ए. राजा

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उपयोग में लाए जान रहे अधिकांश ऑटोमोबाइल/वाहन सुरक्षा की दृष्टि से मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (घ): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार ने अधिसूचना सं, का.आ.1139 (ई) दिनांक 28.04.2015 और का.आ. 2412 (ई) दिनांक 03.09.2015 के द्वारा नए वाहनों के लिए अनेक सुरक्षा मानक आरंभ किए हैं।

सरकार ने अनेक सुरक्षा मानक तैयार किए हैं जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (सीएमवीआर) के तहत ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस) में शामिल हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत उपबंध है कि ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर के अलावा प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के उपबंधों के अनुपालनार्थ एक प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु इसमें विनिर्दिष्ट किसी भी एजेंसी से परीक्षण हेतु उनके द्वारा विनिर्मित किए गए वाहन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सीएमवीआर, 1989 के नियम 126 क विनिर्माता की उत्पादन लाइन से लिए गए वाहनों पर परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों को यह सत्यापित करने के लिए भी अधिदेशित करता है कि क्या ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110 के तहत नियमों के उपबंधों की पुष्टि करते हैं।

सीएमवी अधिनियम और सीएमवी नियमावली को लागू करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-क्षेत्र में आता है।

*****